

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय, सुलतानपुर की अव्यक्ता में आयोजित जनपदीय क्वालिटी एश्योरेन्स समिति/इन्डेन्टी उपसमिति की बैठक दिनांक 26.08.2017 की कार्यवृत्ति।

बैठक में उपस्थित सदस्य—

- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सुलतानपुर।
- मुख्य चिकित्सा अधीकारी, जिला चिकित्सालय, सुलतानपुर।
- मुख्य चिकित्सा अधीकारी, जिला महिला चिकित्सालय, सुलतानपुर।
- अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आरआरएचओ, सुलतानपुर।
- समस्त अधीकारी, सामु0स्वाकोन्ड्र सुलतानपुर।
- समस्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्रा0स्वाको, सुलतानपुर।
- डा० उर्मिला चौधरी, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, जिला महिला चिकित्सालय, सुलतानपुर।
- जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एनएचओएम, सुलतानपुर।
- डिस्ट्रिक कन्सल्टेन्ट, क्वालिटी एश्योरेन्स, सुलतानपुर।
- हार्पिटल क्वालिटी मैनेजर, जिला महिला चिकित्सालय, सुलतानपुर।

कार्यवाही

जनपदीय क्वालिटी एश्योरेन्स समिति/इन्डेन्टी उपसमिति की बैठक दिनांक-26.08.2017 को अपशान्त 4:30 बजे जिला अधिकारी महोदय की अव्यक्ता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई।

जिलाधिकारी महोदय की अनुमति से बैठक को प्रारम्भ करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा समस्त प्रतिमानियों का स्वागत किया गया तथोपरान्त जनपदीय क्वालिटी कन्सल्टेन्ट द्वारा निम्नानुसार बैठक हेतु प्रस्तुतीकरण किया गया। बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा एवं समीक्षा करते हुए निर्णय लिया गया।

- जनपद स्तरीय क्वालिटी एश्योरेन्स सम्बन्धी नीतियों एवं चिकित्सालयों के अधीकारी, क्वालिटी टीम एवं जनपद स्तरीय क्वालिटी एश्योरेन्स यूनिट के सदस्यों वर्ग कार्यक्रम सम्बन्धी कार्य एवं दायित्वों के बारे में पुनः अवगत कराया गया।
- चिकित्सा इकाईयों पर बनी कमेटियों के बारे में जनपदीय क्वालिटी कन्सल्टेन्ट द्वारा अवगत कराया गया जिसमें जिलाधिकारी नहोदय द्वारा सभी अधीकारीयों एवं प्रभारी चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि कमेटियों की समसामयिक बैठक आयोजित की जाय एवं उनकी कार्यवृत्ति बनाकर क्वालिटी एश्योरेन्स सेल को अवगत कराया जाय।
- जनपद स्तर पर कायाकल्प अवार्ड्योजना 2017-18 के लिए चिह्नित चिकित्सा इकाईयों का प्रस्तुतीकरण किया गया तथा निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप वित्तीय वर्ष में प्राप्त इन्टरनल एसेसमेंट एवं पीयर एसेसमेंट का रक्कोर प्रस्तुत किया गया।
- चिह्नित चिकित्सालय एक्स्टर्नल एसेसमेंट के लिए नामित चिकित्सा इकाईयों का प्रस्तुतीकरण किया गया।
- प्रिवेट कायाकल्प फैसिलिटी चेक लिस्ट के अनुसार चिकित्सालयों पर बड़ी क्वालिटी टीम द्वारा त्रैमासिक इण्टरनल एसेसमेंट स्कोर करना तथा गैप सम्बन्धी कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- सभी चिह्नित चिकित्सालयों के अधीकारीयों द्वारा इकाईयों पर चेक लिस्ट से सम्बन्धित सुधारात्मक कार्यों पर पहल तथा बायोमेडिकल वेस्ट का स्टोरेज एवं निस्तारण किया जाना।

कायाकल्प आवार्ड योजना का प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा

• राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत 'स्वच्छ भारत अभियान' की दिशा में कायाकल्प आवार्ड योजना के अन्तर्गत चिकित्सालयों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने की अपेक्षा की गयी।

• कायाकल्प आवार्ड योजना के अन्तर्गत श्री-टायर एसेसमेंट मूल्यांकन- यदि कोई भी चिह्नित चिकित्सा इकाई इसमें 70 प्रतिशत से अधिक रक्कोर करता है तो उसका पीयर एसेसमेंट और जो चिकित्सा इकाई पीयर एसेसमेंट में 70 प्रतिशत रक्कोर करते हैं उनका बाह्य मूल्यांकन में नामित कर अवार्ड के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

• कायाकल्प आवार्ड योजना के आधारित मानक चिकित्सालयों के छ: चिमैटिक एरिया के आधार पर मूल्यांकन कराया जाना है तथा उनमें अपेक्षित सुधार के निर्णय लिये गये।

चिह्नित चिकित्सालयों का कायाकल्प चेकलिस्ट के आधार पर मूल्यांकन

• चिकित्सालयों के छ: चिमैटिक एरिया का इन्टर्नल एसेसमेंट/पीयर एसेसमेंट रक्कोर प्रस्तुत किया गया एवं प्रमुख गैप दूर करने के निर्णय लिये गये।

• चिकित्सालय के रख-रखाव के क्षेत्र में चिह्नित चिकित्सालयों में प्रमुख गैप जैसे कैटल ट्रैप लगवाने, अस्पताल के मुख्य द्वार पर चिकित्सालय का नाम राज्य पोलिसी के अनुसार लिखा होना एवं प्रकाश सहित होना, मुख्य क्षेत्र का लैण्डरक्वीश एवं गार्डरिंग, हर्बल गार्डरिंग, बाह्न स्टैण्ड, कन्डमनेशन कक्ष तथा अस्पताल में प्रतिक्रिया का इन्टर्व्यू एवं गैप दूर करने हेतु निर्देशित किया गया।

• चिकित्सालय एवं मरीजों से सम्बन्धित व्यक्तिगत साफ-साफाई एवं स्वच्छता के क्षेत्र में चिकित्सालय के विभिन्न डिपार्टमेंट के फर्नीचर, मरीजों के उपयोग में आने वाले वस्तुओं का आवश्यकतानुसार प्रतिस्वापन किये जाने का निर्देश दिया गया।

• जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी चिकित्सालयों पर उपयोग हो रहे जल का निरीक्षण, पानी के टैंक की सफाई तथा सभी कार्यस्त कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं टीकाकरण कराया जाये और सभी कर्मचारियों को उनके पद के अनुसार ट्रैस एवं नेम लैंप की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करायें।

• चिकित्सालय एवं परिसर में पैदा होने वाले बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण की दिशा में कर्मचारियों के सामान्य प्रशिक्षण एवं सालिड, लिविंग पैरेट का बी0एम0डब्ल्यू0 2016 नियमों के आधार पर उनका निस्तारण किया जाने पर दण्डात्मक (पुगतान न किये जाने सम्बन्धी) कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।


• अस्पताल के बाहर एवं अस्पताल के परिसर में होने वाले संक्रमण की सोकायाम के विषय में मरीजों को विभिन्न आई0ई0सी0 पोस्टर एवं अन्य साधनों के माध्यम से चिकित्सालय स्तर से सूचना दी जाये एवं कर्मचारियों, स्टाफर्सों को दिये गये कायाकल्प प्रशिक्षण के अनुरूप कार्य करना सुनिश्चित करें।

• जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि चिकित्सालय के आन्तरिक निरीक्षण के दौरान आयी कमियों के निराकरण हेतु विशेष केन्द्रीयकरण वी आवश्यकता है।

क्वालिटी एश्योरेन्स सेल के भ्रमण के सम्बन्ध में

- समिति की बैठक में जैसा कि इसका उद्देश्य भी है कि व्यू0एसेल के सदस्यों (मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीकारी, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जनपदीय क्वालिटी कन्सल्टेन्ट) के द्वारा चिह्नित चिकित्सा इकाईयों का निरीक्षण किया जाये एवं वहाँ होने वाले प्रमुख गतिविधियों का निर्धारित चेकलिस्ट के आधार पर गैप वलोजर की रिपोर्ट बनाकर कमेटी की बैठक में प्रस्तुत करें एवं उसका विश्वान्ययन सुनिश्चित करें।
- जनपद क्वालिटी एश्योरेन्स समिति की बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा सन्तोष व्यक्त करते हुए समस्त अधीकारी एवं प्रभारी चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का नवीन कार्यक्रम है इसमें सभी लोग अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए इसे पूरे मनोरोग से सफल बनायें।

बैठक के अन्त में मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा बैठक में दिये गये निर्देशों का पालन करने हेतु निर्देश दिया गया तथा समस्त प्रतिमानियों को धन्यवाद देते हुए बैठक की समाप्ति की घोषणा की गयी।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सुलतानपुर

पत्रांक: मु0धिय030/डी0व्यू0एसी0/2017-18 / दिनांक /09/2017

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 लखनऊ।
- महाप्रबन्धक, क्वालिटी एश्योरेन्स एनएचओ लखनऊ।
- जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति सुलतानपुर।

4. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण फैजाबाद मण्डल फैजाबाद।

5. मुख्य चिकित्सा अधीकारी, जिला चिकित्सालय, सुलतानपुर।

6. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, सुलतानपुर।

7. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला महिला चिकित्सालय, सुलतानपुर।

8. समस्त अधीकारी/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामु0/प्रा0स्वाकोन्ड्र जनपद सुलतानपुर।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी

सुलतानपुर।